न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–412/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00181)

1. कल्याण पुत्र रामनाथ,
2. नाथू पुत्र रामनाथ,
3. ज्याना बेवा रामकरण,
4. जगदीश पुत्र रामकरण,
5. प्रहलाद पुत्र रामकरण,
6. भौंरीलाल पुत्र गोर्वधन,
7. बद्री पुत्र गोर्वधन,
8. जयराम पुत्र गोर्वधन,
9. छोटू पुत्र गोर्वधन, समस्त जाति चमार निवासीगण ग्राम इन्द्रपुरी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

2. श्रवण पुत्र रामकिशोर,
3. मोती पुत्र रामकिशोर, जातियान चमार निवासीयान ग्राम इन्द्रपुरी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।

–– प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.05.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के आदेश दिनांक 02.12.2015 (प्रकरण संख्या 10/201) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1971 के इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम इन्द्रपुरी, पटवारी हल्का खेडा रानीवास तहसील कोटखावदा जिला जयपुर मे कृषि भूमि खाता संख्या 19 साबिक खाता संख्या 16 की आराजी खसरा नम्बर 244 लगायत 251, खसरा नम्बर 251/540, 252, 252/538, 253 लगायत 257, खसरा नम्बर 259 लगायत 274, खसरा नम्बर 312 लगायत 314, खसरा नम्बर 318 लगायत 336, खसरा नम्बर 338 लगायत 346, ,खसरा नम्बर 373, 374 कुल किता 65 कुल रकबा 15.37 हैक्टयर स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 59 लगायत 65 व 78 लगायत 80 से बने है, जिसके प्रार्थीगण सह खातेदारान है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 80 के एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बरान 273 मिन., 282 ता 285, ता 292, 294, 352 मि., 295/675, 295 ता 308, 310 ता 313, 314 मि., 355, 357, 358 है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 20.11.2014 को अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने पर जानकारी हुई कि दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा गलती अथवा सहवन से अपीलार्थीगण की भूमि का जो हाल नक्शा बनाया गया है, वह दुरूस्त नही है तथा गत नक्शे से मेल नही खाता है, अपीलार्थीगण की भूमि के हाल खसरा नम्बर 374 के दक्षिणी हिस्से की तरफ का जो नक्शा बनाया गया है, वह गलत है एवं उक्त नक्शे को पूर्व से पश्चिम की तरफ हिस्सा कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त से पूर्व एवं सम्वत् 2004 के नक्शे में उक्त लाईन उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी है तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण भी पूर्व के नक्शें के अनुसार ही काबिज है इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर हाल नक्शा पूर्व के नक्शों के अनुसार दुरूस्त किये जाने के हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध खारिज किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.15 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर मौजूद सामग्री, राजस्व नक्शे सम्वत् 2008 सम्वत् 2021 मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का कतई कोई अवलोकन नही किया गया एवं मनमाने रूप से आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाही गई दादरसी एवं उक्त दादरसी के अधिकारी होने के आधारों का कतई विवेचन नही किया, अपीलार्थीगण द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र में स्वयं की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रकबा कम अथवा अधिक होने का विवाद उत्पन्न नही किया गया था बल्कि अपीलार्थीगण का आक्षेप था कि बन्दोबस्त के बाद वर्तमान नक्शें के बिना अपीलार्थीगण की खातेदारी में रकबा कम अथवा ज्यादा किये नवीन नक्शे में परिवर्तन कर नक्शा कमतर भूमि का पैमाईश किया गया है जबकि अपीलार्थीगण हाल में भी बन्दोबस्त से पूर्व के नक्शें के अनुसार ही मौके पर काबिज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे मूल विवादित बिन्दु नक्शा की बाबत विनिश्चय की बजाय जमाबन्दी के आधार पर क्षेत्रफल में कमी बेसी नही होने के राज्य सरकार के जवाब के आधार पर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया है जो कानूनन उचित नही है, इस कारण भी आलौच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में विशिष्ठ रूप से कथन किया गया था कि भू प्रबन्धन के समय कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी की भूमि के हाल नक्शों

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को गत नक्शों के अनुसार नही बनाया गया है जिससे अपीलार्थीगण की खातेदारी का रकबा कम होने की पूर्ण आशंका है इसके प्रतिउत्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नक्शे कमतर होने के बिन्दु की बाबत जवाबदेही के बजाय केवल मात्र वर्तमान खसरा नम्बर 373 का वर्तमान नक्शा मौके के अनुसार सही होना दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र की जवाबदेही की एवं अपीलार्थीगण के विशिष्ट आक्षेप वर्तमान नक्शा पूर्व के नक्शों के अनुसार सही नही होने के बाबत अपने सम्पूर्ण जवाब में कोई जवाबदेही नही की इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित रूप से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र आलौच्य आदेश दिनांक 02.12.2015 के जरिये खारिज फरमा दिया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.09.2015 के अनुसार प्रकरण में पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होना था लेकिन उक्त दिवस को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मौके पर नही जा सके, तत्पश्चात् दिनांक 24.09.2015 को पुनः मौका देखने के लिऐ दिनांक 09.11.2015 की तारीख पेशी नियत फरमाई गई लेकिन प्रकरण में आलौच्य आदेश दिनांक 02.12.2015 पारित किये जाने तक पूर्व की आदेशिका अनुसार न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे एवं बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही आलौच्य आदेश फरमा दिया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2015 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें एवं प्रकरण पुनः जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपील के तथ्यों को समर्थन करते हुऐ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार कोटखावदा की रिपोर्ट दिनांक 14.10.15 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण एवं प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट का गत खसरा नम्बर 80 एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 273 मी., 282, 283,

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

285 से 292, 294, 352 मे 295/675, 295 लगायत 308, 310 लगायत 313, 314 मी., 355, 357, 358 से बना है, एकीकरण से पूर्व के समस्त खसरा नम्बरान का कुल क्षेत्रफल 32 बीघा था एवं एकीकरण के बाद बने खसरा नम्बर 80 का रकबा भी 32 बीघा है, क्षेत्रफल में कोई कमी बेशी नही है, वर्तमान खसरा नम्बर 374 रकबा 0.40 हैक्टयर साबिक खसरा नम्बर 80 मी. रकबा 0.40 हैक्टयर से बना है, जो सही क्षेत्रफल में कोई कमी नही है, वर्तमान नक्शा व मौके में एकरूपता है। ऐसे में जब विवादित भूमि के क्षेत्रफल में कमी बेशी नही है तथा वर्तमान नक्शा व मौके में एकरूपता है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से उसे खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर